



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश संख्या:- अराज०/15/2025

दिनांक: 20.03.2025

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Appendix-3(IREM)-2024 परीक्षा उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से Sr.SO(A) & Sr.SO(TI) ग्रेड वेतन रु० 4800/- (Level-8 as per 7th CPC) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Table-A(Promoted as Sr.SO(A))

Sl. No	Name (Shri)	Desig.	Emp.ID	Office working	Posting on promotion under
1	SHASHINDER ANAND	AA	27829800154	Sr.DFM/DDU	Sr.DFM/DDU
2	SANTOSH KUMAR YADAV (OH)	AA	27529802645	Sr.DFM/DDU	Sr.DFM/DDU
3	PUTTU KUMAR (OH)	AA	27129800371	Dy.FA&CAO/TA/HJP	Dy.FA&CAO/TA/HJP
4	VISHWAJEET KUMAR (VH)	AA	27929800181	Sr.DFM/SEE (GHZ)	Sr.DFM/SEE
5	AMIT KUMAR (OH)	AA	51500115118	AFA/ENGA/HJP	AFA/ENGA/HJP
6	BRIJESH KUMAR (VH)	ASV	27629802386	Sr.DFM/SPJ	Sr.DFM/SPJ

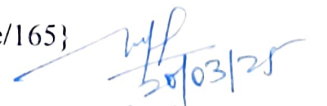
Table-B(Promoted as Sr.SO(TI))

Sl. No	Name (Shri)	Desig.	Emp.ID	Office working	Posting on promotion under
1	MITHILESH KUMAR	AA	50714501753	Dy.FA&CAO/TA/HJP	Dy.FA&CAO/TA/HJP
2	SHISHANT KUMAR	AA	27229803939	Sr.DFM/SEE	Dy.FA&CAO/TA/HJP
3	MUKESH KUMAR SHARMA	AA	27929800176	AFA/WS/SPJ	Dy.FA&CAO/TA/HJP

नोट:-

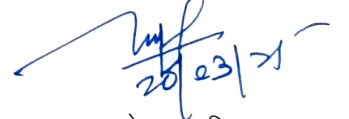
1. किसी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाए। ऐसे मामले में IREM Vol I के पैरा 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जाएगा।
2. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
3. उपर्युक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है। अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पू.म.रे. में वापस आने पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है।
4. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
5. पदस्थापना/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए।
6. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

(प्राधिकार: मिसिल संख्या: ECR/HQ0ACCT(MISC)/9/2020 , Note/165)


(राजीव रंजन)
सचिव/प्रशा०
कृते प्रधान वित्त सलाहकार

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ
2. विसमुलेधि(सा०)/हाजीपुर।
3. विसमुलेधि(यातायात)/हाजीपुर।
4. उप विसमुलेधि(यातायात)/हाजीपुर।
5. उप विसमुलेधि(सा०)/हाजीपुर, स्निन्नर ई.डी.पी.एम/हाजीपुर
6. वमविप्र/डी डी यू सोनपुर एवं समस्तीपुर।
7. सविस/का.एवं भा./समस्तीपुर।
8. सविस/स्थापना(अराज०), प्रशा०।
9. सचिव/इसिआरइयू/एससी एसटी एवं ओबीसी असोसिएशन
10. संबंधित कर्मचारी।
11. कार्यालय आदेश पंजिका/वेब पोर्टल।


20/03/21
कृते प्रधान वित्त सलाहकार